ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

23 October 2024

सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान का अभिन्न अंग बताया

सन्दर्भ: हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मौलिक पहलू है और यह देश के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया, जो संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देती थीं। ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे।

निर्णय का मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय का मुख्य बिंदु 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों पर है। इन शब्दों ने प्रस्तावना में भारत के वर्णन को 'संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' बना दिया है।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजय कुमार ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के संपूर्ण ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है। न्यायाधीशों ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान में उल्लिखित समानता और बंधुत्व के अधिकारों से भी जोड़ा।
- न्यायमूर्ति खन्ना का यह कहना महत्वपूर्ण है कि समाजवाद को केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इस ढांचे में समाजवाद केवल संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण का मुद्दा नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय, अवसरों तक समान पहुँच और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण जैसे व्यापक आदर्श भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं के तर्क:

- **बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण:** अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अंबेडकर की चिंताओं का हवाला दिया कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है।
- **संसद में बहस:** याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने से पहले संसद में पर्याप्त रूप से बहस नहीं की गई थी।
- **प्रस्तावना की अखंडता:** जैन ने तर्क दिया कि 26 नवंबर, 1949 को स्थापित प्रस्तावना को बिना गहन चर्चा के संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।

आगामी सुनवाई:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अगली सुनवाई 18 नवंबर, 2024 को निर्धारित की है।
- इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

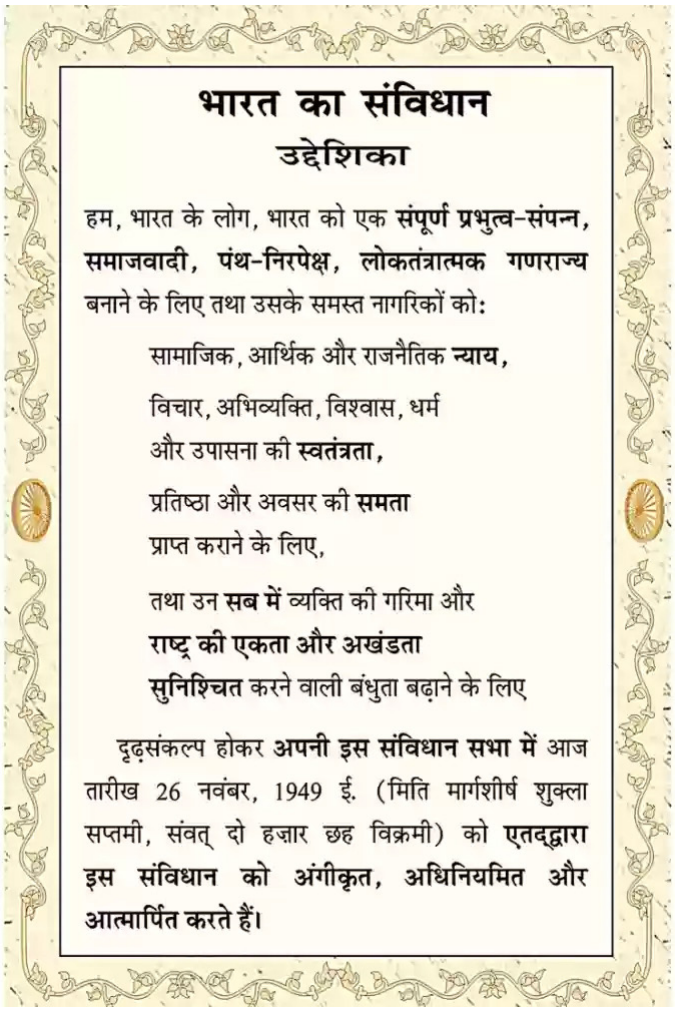

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** **सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

धर्मनिरपेक्ष से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **प्रस्तावना:** भारत को एक 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया है।
- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
- **अनुच्छेद 25:** अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 27:** किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कराधान से स्वतंत्रता।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

- **अनुच्छेद 28:** धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 51ए (मौलिक कर्तव्य):** धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय भिन्नताओं की परवाह किए बिना सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

समाजवादी से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **प्रस्तावना:** भारत को एक 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया है।
- **अनुच्छेद 38:** राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत, जिनमें समान कार्य के लिए समान वेतन और श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है।
- **अनुच्छेद 41:** काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- **अनुच्छेद 43:** कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और श्रमिकों के हितों का संरक्षण।
- **अनुच्छेद 43ए:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

नॉन-काइनेटिक वारफेयर

संदर्भ: हाल ही में लोकसभा बुलेटिन में बताया गया है कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति 17 प्रमुख विषयों पर चर्चा करेगी, जिसमें हाइब्रिड युद्ध के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी भी शामिल है, जिसमें साइबर, काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक युद्ध के साथ-साथ ड्रोन विरोधी क्षमताएं शामिल हैं।

मुख्य बिन्दु:

- लोकसभा में विपक्ष के नेता और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य राहुल गांधी ने नॉन-काइनेटिक युद्ध के बढ़ते खतरे पर, रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन में चल रहे संघर्षों के साथ समानताएं दर्शाते हुए जोर दिया, जहां इस तरह की रणनीति स्पष्ट रूप से देखी गई है।
- उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य के संघर्षों में इन तरीकों पर बहुत अधिक निर्भर होने की संभावना है और आग्रह किया कि इन उभरते खतरों से निपटने के लिए सेना की तत्परता की गहन जांच सुनिश्चित करें।

नॉन-काइनेटिक युद्ध के बारे में:

नॉन-काइनेटिक युद्ध में ऐसी रणनीतियाँ शामिल हैं जो प्रत्यक्ष शारीरिक बल पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं और संकल्प को बाधित करना, हेरफेर करना या कम करना होता है। मुख्य घटकों में शामिल हैं:

- **साइबर युद्ध:** इसमें हैकिंग, डेटा उल्लंघन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं, जो व्यवधान पैदा करने या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सूचना प्रणालियों को लक्षित करते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन (साइकोप्स):** प्रचार, गलत सूचना और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करने का लक्ष्य, अक्सर मनोबल को कम करने या भ्रम पैदा करने के लिए।
- **आर्थिक युद्ध:** सैन्य संघर्ष में शामिल हुए बिना किसी विरोधी की अर्थव्यवस्था और संसाधनों को कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों जैसे उपायों को शामिल करता है।
- **सूचना युद्ध:** गलत सूचना फैलाने, कलह फैलाने और जनमत में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग करता है, जो अक्सर सत्य और झूठ के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:** विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को बाधित करने या नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रतिद्वंद्वी की परिचालन प्रभावशीलता में बाधा डालने के लिए संचार और रडार प्रणालियों को लक्षित करता है।

अन्य आयाम:

- **गैर-सैन्य हितधारक:** इसमें निगम, नागरिक संगठन और अन्य संस्थाएँ शामिल हैं, जो युद्ध के मैदान को राज्य के अभिनेताओं से परे विस्तारित करती हैं।
- **तकनीकी उन्नति:** प्रौद्योगिकी का उदय नॉन-काइनेटिक तरीकों के संभावित प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक प्रभावी हो जाते हैं।
- **संभावित घातकता:** नॉन-काइनेटिक युद्ध पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक घातक साबित हो सकता है, जिसमें संघर्षों को शारीरिक टकराव के बिना हल किया जा सकता है।
- **वास्तविक दुनिया के उदाहरण:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (जैसे, बिजली ग्रिड, अस्पताल) पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों ने नॉन-काइनेटिक युद्ध के गंभीर परिणामों को प्रदर्शित किया है, जैसा कि विभिन्न वैश्विक घटनाओं में देखा गया है।

भविष्य के युद्ध की पहल

भविष्य के युद्ध का पाठ्यक्रम:

- **पहल:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के निर्देशन में शुरू किया गया।
- **त्रि-सेवा पाठ्यक्रम:** सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के अधिकारियों के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा संचालित एक अग्रणी पाठ्यक्रम।
- **लक्षित छात्र:** रैंक-अज्ञेय, मेजर जनरलों, मेजर और विभिन्न सेवाओं के उनके समकक्षों के लिए लक्षित।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **आधुनिक युद्ध को समझना:** अधिकारियों को भविष्य के संघर्षों के परिचालन और तकनीकी पहलुओं के ज्ञान से लैस करना।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - » संपर्क और गैर-संपर्क युद्ध।
  - » गतिज और गैर-गतिज रणनीतियाँ।
  - » मनोवैज्ञानिक और सूचनात्मक रणनीतियाँ।

निष्कर्ष:

समकालीन संघर्षों में नॉन-काइनेटिक विधियाँ तेजी से प्रमुख होती जा रही हैं, जिससे रणनीतिक जुड़ाव की अनुमति मिलती है जो पारंपरिक सैन्य कार्रवाइयों की तुलना में कम पता लगाने योग्य और अस्वीकार्य हो सकती है। इन तरीकों का उद्देश्य अक्सर खुले युद्ध में आगे बढ़े बिना उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।

वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का विस्तार

सन्दर्भ: हाल ही में NOAA (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) ने बताया कि फरवरी 2023 में शुरू हुई वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना अब तक की सबसे व्यापक है, जिसका प्रभाव दुनिया के 77% कोरल रीफ क्षेत्रों पर पड़ा है। यह 1998 के बाद से चौथी बड़ी ब्लीचिंग घटना है और यह पिछले रिकॉर्ड (2014-2017) से 11% अधिक है।

प्रभावित क्षेत्र:

- अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा है, 74 देशों में ब्लीचिंग की सूचना मिली है। हाल ही में पुष्टि किए गए ब्लीचिंग क्षेत्रों में पलाऊ, गुआम और इजराइल शामिल हैं, जबकि कैरिबियन और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्र हॉटस्पॉट बने हुए है।

कोरल ब्लीचिंग का कारण:

- कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल गर्मी के तनाव के प्रभाव में अपने ऊतकों में उपस्थित जीवंत शैवाल (जूक्सैन्थेला) को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोरल का रंग पीला हो जाता है, जिससे वे भुखमरी और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- यह चिंताजनक है कि पिछले दो वैश्विक ब्लीचिंग घटनाओं के दौरान दुनिया के बचे हुए कोरल का कम से कम 14% भाग मृत हो गया।

जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों के कारण गर्म हो रहे हैं।
- विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन और रिकॉर्ड महासागरीय तापमान, साथ ही अल नीनो, महासागरीय क्षेत्र के तापमान में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। अध्ययन के अनुसार, यदि तापमान में 1.5°C की वृद्धि होती है, तो कोरल रीफ्स को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ेगा; हालाँकि, वर्तमान में 1.3°C की वृद्धि के साथ ही क्षति शुरू हो चुकी है।

आर्थिक महत्व:

- कोरल रीफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं में सालाना लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। उनका स्वास्थ्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, निर्वाह मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- इस बढ़ते संकट के जवाब में, कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (COP16) में प्रवाल भित्तियों पर एक विशेष आपातकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा।
- इस सत्र का उद्देश्य प्रवाल संरक्षण के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना और आवश्यक निधि सुरक्षित करना है, जो वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना को संबोधित करने और इन आवश्यक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रवाल विरंजन:

- प्रवाल विरंजन तब होता है जब तनावग्रस्त प्रवाल शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं।
- बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाएं 1998, 2010, 2016 और अब 2023 में घटित हो चुकी हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ 25% समुद्री प्रजातियों का पोषण करती हैं, तटीय सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करती हैं।

निष्कर्ष:

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 October 2024

वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का ह्रास व्यापक संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रवाल भित्तियों के महत्वपूर्ण हिस्से के खतरे में होने के कारण, इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए COP16 जैसे मंचों पर सहयोगात्मक कार्रवाई अनिवार्य है। ऐसा करने से इन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और वे हमारे ग्रह को निरंतर लाभ प्रदान कर सकेंगी।

पॉवर पैक्ड न्यूज़

5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023: ओडिशा ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

- हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें नौ श्रेणियों में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के पुरस्कारों सहित कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया।
- ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला तथा गुजरात और पुडुचेरी ने तीसरा स्थान साझा किया। पुरस्कारों के साथ कुछ श्रेणियों में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए।
- राष्ट्रपति मुर्मू ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और 2019 में 17% से बढ़कर 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के घटते भूजल संसाधनों के बारे में भी चिंता जताई।
- अन्य श्रेणियों में, राजस्थान के सीकर में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ने जल संचयन में अपने प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पहला पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार नवीन जल प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

2026 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रमुख खेलों का बहिष्करण

- हाल ही में एक निर्णय के तहत ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) से क्रिकेट, फील्ड हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और टेबल टेनिस जैसे कई प्रमुख खेलों को बाहर रखा गया है। यह बहिष्करण आयोजन की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले संस्करणों की तुलना में खेलों की संख्या में कमी आई है।
- इस संस्करण में केवल 10 खेलों की शामिल करने की योजना है, जिसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, लॉन बॉल्स, जिमनास्टिक, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो शामिल हैं। यह संख्या 2022 बर्मिंघम संस्करण में शामिल 20 खेलों की तुलना में काफी कम है।
- कुश्ती और निशानेबाजी को बाहर करना विशेष रूप से नुकसानदायक है, क्योंकि भारत ने पिछले आयोजनों में कुश्ती में 114 और निशानेबाजी में 135 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन अत्यधिक उत्कृष्ट रहा है।
- हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस को हटाने से भारत की पदक की संभावनाएँ भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ये खेल ऐतिहासिक रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण सफलताएँ अर्जित कर चुके हैं। इस स्थिति से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की समग्र स्थिति पर गंभीर चुनौती उत्पन्न होने की संभावना है।

चक्रवात 'दाना'

- भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात 'दाना' के निर्माण का पूर्वानुमान लगाया है। यह चक्रवात 23 अक्टूबर, 2024 तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 120 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- चक्रवात के ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने का अनुमान है, जिससे भारी वर्षा और तेज हवाएँ चलेंगी। यह स्थिति इन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।

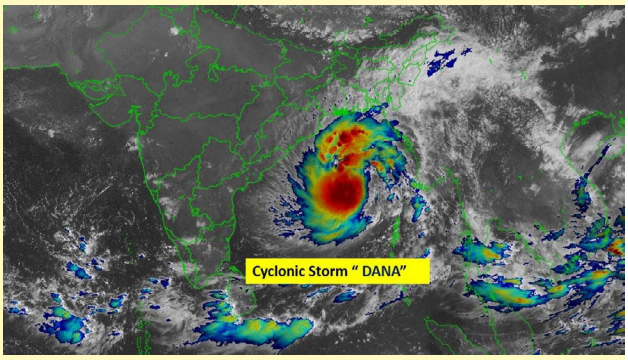

चक्रवातों के बारे में:

- चक्रवात बड़े पैमाने पर घूमते हुए हवा के पिंड होते हैं, जो निम्न दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चक्रवात को ऊर्जा संघनन के दौरान निष्कासित होने वाली उष्मा से मिलती है, जिसके लिए वायुमंडल में उच्च आर्द्रता आवश्यक है।
- चक्रवाती तूफानों को हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गंभीर चक्रवात की गति 89 से 117 किमी/घंटा के बीच होती है। चक्रवात मूसलाधार बारिश, तेज हवाएँ, तूफानी लहरें और बाढ़ का कारण बनते हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में, चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रखा जाता है। भारत, बांग्लादेश और अन्य सदस्य देश क्रमिक रूप से नाम प्रदान करते हैं।